एक नजर में

बुजुर्ग से धोखाधड़ी करने और भू-माफियाओं द्वारा अतिक्रमण किए जाने का मामला सामने आया

नीमच। जिले के गांव दुदरसी स्थित शासकीय भूमि सर्वे नंबर 857 को अवैध रूप से बेचने, बुजुर्ग से धोखाधड़ी करने और भू-माफियाओं द्वारा अतिक्रमण किए जाने का मामला सामने आया है। हनुमान नगर निवासी जितेन्द्र परिहार ने जिला कलेक्टर नीमच को शिकायत आवेदन सौंपकर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है।आवेदन में बताया गया है कि अमृतलाल खारोल और मुकेश पाटीदार ने मिलीभगत कर सरकारी भूमि पर कब्जा कर लिया तथा उसे निजी बताकर बुजुर्ग विष्णु शर्मा को 5 .64 लाख रुपये में बेच दिया गया। आरोप है कि इस दौरान पीड़ित को वास्तविक स्थिति से अनभिज्ञ रखा गया। वहीं जमीन बेचने के बावजूद अमृतलाल की पत्नी द्वारा स्वयं को असहाय किसान बताकर न्यायालय में वाद दायर कर 'स्टे' प्राप्त करने का भी आरोप लगाया गया है।शिकायतकर्ता ने प्रशासन से अवैध अतिक्रमण हटाने, सरकारी भूमि को मुक्त कराने, दोषियों के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में एफआईआर दर्ज करने तथा भूमि का सीमांकन कर शासकीय भूमि का बोर्ड लगाए जाने की मांग की है।

बगीचा नंबर 21 में शासन की करोड़ों की भूमि पर अवैध निर्माण व प्लॉटिंग, जनसुनवाई में कलेक्टर से हुई शिकायत

नीमच। शहर के विनोबागंज क्षेत्र स्थित बगीचा नंबर 21 में शासन की करोड़ों रुपये मूल्य की भूमि पर अवैध निर्माण एवं प्लॉटिंग का गंभीर मामला सामने आया है। इसको लेकर क्षेत्र के निवासी संजय गोहर सहित वार्डवासियों ने मंगलवार को आयोजित जिला कलेक्टर की जनसुनवाई में आवेदन प्रस्तुत कर त्वरित कार्रवाई की मांग की।आवेदन में बताया गया कि बगीचा नंबर 21 की लगभग 5000 वर्गफीट से अधिक शासकीय भूमि पर बिना किसी वैधानिक अनुमति के निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही उक्त भूमि को छोटे-छोटे प्लॉट में काटकर अवैध रूप से विक्रय किया जा रहा है, जिससे शासन को भारी राजस्व हानि हो रही है।शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि अवैध बाउंड्रीवाल निर्माण के कारण कुचबंधिया समाज के भेरूजी मंदिर एवं प्राचीन कुएं तक जाने वाला सार्वजनिक रास्ता बंद कर दिया गया है। इससे क्षेत्रवासियों एवं श्रद्धालुओं को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।प्रार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी में यह स्पष्ट हुआ है कि संबंधित निर्माण के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति जारी नहीं की गई है। यह मामला वर्ष 2017 के छावनी क्षेत्र भूमि व्यवस्थापन नियमों का खुला उल्लंघन है।आवेदन के माध्यम से प्रशासन से मांग की गई है कि तत्काल अवैध निर्माण हटाकर शासन की भूमि को सुरक्षित किया जाए तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले दोषियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की अवैध गतिविधियों पर रोक लग सके।

बरकटी में महिला किसान की जमीन पर दबंगों का कब्जा, कलेक्टर से न्याय की गुहार

नीमच। जिले की जीरन तहसील अंतर्गत ग्राम बरकटी में एक वृद्ध महिला किसान की कृषि भूमि पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जे और फसल नष्ट करने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता गीता मीणा पति स्वर्गीय नारायण लाल मीणा ने मंगलवार को कलेक्टर नीमच की जनसुनवाई में आवेदन प्रस्तुत कर न्याय की गुहार लगाई है।आवेदन में गीता मीणा ने बताया कि खसरा नंबर 894 स्थित उनकी पुश्तैनी कृषि भूमि पर वे वर्षों से खेती करती आ रही हैं। कुछ समय पूर्व गांव के ही कारू लाल मीणा, बापू लाल मीणा और सूरजमल मीणा ने उनकी जमीन पर जबरन हस्तक्षेप शुरू कर दिया। आरोप है कि पहले खेत में खड़ी जौ की फसल को कीटनाशक डालकर नष्ट कर दिया गया तथा सिंचाई के लिए डाली गई पाइपलाइन को भी काट दिया गया, जिससे भारी आर्थिक नुकसान हुआ। पीड़िता के अनुसार जब उन्होंने इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से की, तब भी आरोपियों के हौसले कम नहीं हुए। इसके बाद आरोपियों ने खेत को जोतकर जबरन गेहूं की बुवाई कर दी। जब गीता मीणा और उनके पुत्रों ने इसका विरोध किया तो उन्हें जान से मारने की धमकियां दी गईं। इस कारण पूरा परिवार भय और तनाव के माहौल में जीने को मजबूर है।वृद्ध महिला किसान ने बताया कि खेती ही उनके परिवार की आजीविका का एकमात्र साधन है। फसल नष्ट होने और जमीन पर कब्जे के चलते वे आर्थिक संकट से जूझ रही हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें उनकी भूमि पर कब्जा दिलाया जाए,आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए तथा परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

मादक पदार्थ तस्कर जमनालाल पर पीआईटी एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई बरकरार

नीमच। मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त आदतन आरोपी जमनालाल धाकड़ के विरुद्ध क्क्ष्ञ हृष्ठक्क- एक्ट के तहत की गई निरोधात्मक कार्रवाई को माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के एडवाइजरी बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। इसके तहत शासन के निर्देशानुसार आरोपी की निरोध अवधि एक वर्ष तक प्रभावी रहेगी। पुलिस अधीक्षक नीमच अंकित जायसवाल के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसोदिया एवं एसडीओपी जावद रोहित राठौर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिंगोली निरीक्षक भुरालाल भांभर द्वारा मादक पदार्थ तस्करी में संलिप्त आदतन आरोपी जमनालाल पिता सोहनलाल धाकड़, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम महूपुरा पुरण थाना सिंगोली जिला नीमच के विरुद्ध *PIT NDPS* एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई थी। आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के आदेश दिनांक 05 दिसंबर 2025 के पालन में आरोपी को 7 दिसंबर 2025 को केन्द्रीय कारागृह इंदौर निरुद्ध किया गया था। इस निरोध आदेश के विरुद्ध 9 जनवरी 2026 को माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के एडवाइजरी बोर्ड में सुनवाई हुई, जिसमें आयुक्त उज्जैन संभाग द्वारा जारी आदेश को सही ठहराया गया।

जिला प्रशासन द्वारा जनसमस्याओं के निराकरण की सार्थक पहल

▸ ग्राम पंचायत, जनपद एवं तहसील व जिला स्तर पर मंगलवार को की गई जनसुनवाई

नीमच। जिला प्रशासन द्वारा कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के मार्गदर्शन में ग्रामीणों की समस्याओं के स्थानीय स्तर पर त्वरित निराकरण के लिए ग्राम पंचायत स्तर, जनपद स्तर एवं तहसील स्तर एवं जिला स्तर पर मंगलवार को जनसुनवाई प्रारंभ की गई है। ग्राम पंचायत स्तर पर पटवारी, पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायकों ने ग्राम पंचायत कार्यालयों में उपस्थित होकर जनसुनवाई की और ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर उनका निराकरण किया। इससे ग्रामीणों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान होने से उन्हें समय एवं धन की बचत भी हुई है।

जिला मुख्यालय नीमच के कलेक्टर कार्यालय नीमच में कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने मंगलवार को जनसुनवाई कर 94 आवेदकों की समस्याएं सुनी और उनका निराकरण करने के निर्देश संबंधित जिला अधिकारियों को दिए है।

झूठा राजीनामा कर जमीन का सौदा करने वाले के विरूद्ध कार्यवाही करने निर्देश,बरूखेड़ा के दिव्यांग लालाराम को मिली नि:शुल्क ट्राईसिकल, जनसुनवाई में कलेक्टर ने जूना भदाना निवासी मांगू बंजारा के आवेदन पर उससे झूठा राजीनामा बनवाकर जमीन का सोदा कर राशि हडपने वालों के विरूद्ध समय-सीमा में कार्यवाही करने के निर्देश एसडीएम मनासा को दिए है।

ग्राम बरूखेडा के दिव्यांग लालाराम ने कलेक्टर से नि:शुल्क ट्रासिकल दिलाने का अनुरोध किया, इस पर कलेक्टर ने रेडक्रास से ट्राईसिकल मंगवाकर लालाराम को प्रदान की है। ग्राम धनेरिया कलां के मोहनलाल भील ने पुश्तेनी कब्जे की जमीन पर अन्य लोगो द्वारा रहे वृक्षों को काटकर कब्जा करने की शिकायत पर कलेक्टर ने तहसीलदार नीमच नगर को तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।गांधी कालोनी की नीमच की कांताबाई ने न.पा.से सेवानिवृत्ति के 11 माह बाद भी पी.एफ.पेंशन राशि का भुगतान नहीं मिलने की शिकायत पर कलेक्टर ने सीएमओ नीमच को निर्देश दिए, कि वे कांताबाई को सात दिवस में पेंशन एवं पीएफ की राशि का भुगतान सुनिश्चित करें।

उन्होने कहा, कि पेंशन प्रकरणों का त्वरित निराकरण कर संबंधित पेंशनर्स को समय-सीमा में भुगतान करना संबंधित कार्यालय प्रमुख की जिम्मेदारी है, सभी जिला अधिकारी पेंशन प्रकरणों के निराकरण को गंभीरता से ले।

जनसुनवाई में सावन के कचरूलाल, इंदिरा नगर की पुष्पा, कदमाली की लालीबाई, विनोबागंज नीमच के संजय, नीमच की हुलास बाई, हनुमंतिया की सोहन कुंवर, बरकटी की गीताबाई, नीमच के जितेन्द्र परिहार, सिरखेडा की फुलाबाई, स्कीम नं.34 नीमच की जयश्री, सिंधी कालोनी नीमच की रेखा, नीमच की रतनबाई, नीमच की शांतिबाई ने भी अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए।

इसी तरह कनावटी के अशोक नायक, जावद के जाकिर हुसैन, गांधी कालोनी नीमच की कांताबाई, ग्वालटोली के राजवंशी, पावडा कला के चांदमल, चेनपुरा के गट्टूसिह, रामपुरा के रामलाल, झांतला के भेरूलाल, ढाबा के लक्ष्मीनारायण, जीरन के नवरतनदास, मेरियाखेडी के भगतराम, चेनराम, सिंगोली के निर्मल, डीकेन के रमेशचंद्र, जुना भदाना के मांगु, गिरदौडा के भारत, सिंगोली की बसंतीबाई, ग्वालटोली की लीलाबाई ने भी अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन जनसुनवाई में प्रस्तुत किए। जिस पर कलेक्टर ने समय- सीमा में कार्यवाही करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

ग्राम पंचायत बराड़ा में की गई पेयजल पाइप लाइन की तत्काल मरम्मत

▸ ग्राम पंचायत स्तर पर की गई जल सुनवाई

नीमच। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के मार्गदर्शन में नीमच जिले में नागरिकों एवं ग्रामीणों की पेयजल संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिले के सभी नगरीय निकायों, तहसील कार्यालयों, जनपद कार्यालयों और ग्राम पंचायत स्तर पर मंगलवार को जनसुनवाई के साथ ही जल सुनवाई में ग्राम पंचायत बराड़ा के ग्रामीणों द्वारा पेयजल पाईप लाईन फूटने और पानी के लिकेज की समस्याओं के संज्ञान में लाने पर कलेक्टर श्री चंद्रा के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत बराड़ा द्वारा तत्काल पेयजल पाईप लाईन को दुरस्त करने का काम प्रारंभ कर दिया गया है और पेयजल पाईप लाईन से लीकेज को बंद करवाया गया है।

कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के मार्गदर्शन में नीमच जिले में ग्रामीणों की समस्याओं के स्थानीय स्तर पर त्वरित समाधान के लिए जिले के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर मंगलवार को जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंगलवार को प्रात:11 बजे से दोपहर एक बजे तक पटवारी, पंचायत, सचिव एवं रोजगार सहायकों ने ग्राम पंचायत कार्यालय में उपस्थित होकर जनसुनवाई की और ग्रामीणों से प्राप्त आवेदनों पर सुनवाई कर उनका निराकरण किया। साथ ही तहसीलदार एवं नगरीय निकाय स्तर पर भी जनसुनवाई की गई।

भारत विकास परिषद शाखा ने मनाई स्वामी विवेकानंद की जयंती

नीमच। सेवा संस्कार मे अग्रणी भारत विकास परिषद परिवार शाखा नीमच द्वारा युवाओं के प्रेरणा स्त्रोत स्वामी विवेकानंद की 162 वी जयंती पर ऊनकी प्रतिमा जो उत्क्रष्ट विघालय मे परिषद परिवार द्वारा ही लगाई गयी है पर माल्यार्पण किया व स्वामी जी द्वारा पूरे विश्व को जो संदेश दिया गया उसे याद किया गया और उनके प्रेरणादायक वचन सभी को याद दिलाए गये।ज्ञात रहे कि रामक्रष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य रहे स्वामी विवेकानंद को सम्मानित करने के लिए 12 जनवरी का दिन विश्व युवा दिवस के रुप मे मनाया जाता है। साथ ही परिषद के सदस्यी द्वारा कडकडाती ठंड में जरूरतमंदों को कंबल भी वितरित किये गए। कार्यक्रम मे शाखा सदस्य अध्यक्ष रवि पोरवाल, सचिव पिंटू शर्मा, कोषाध्यक्ष संदीप दरक, मनोज माहेश्वरी, पंकज दुबे, राजेश जायसवाल, अशोक अग्रवाल (एलआईसी), मधुसूदन खंडेलवाल, सतीश गोयल, राजेश गट्टानी, शिखर जैन जीटी, बनवारी लाल अग्रवाल आदि सदस्य मौजूद थे। उपरोक्त जानकारी मीडिया प्रभारी व प्रवक्ता मनोज माहेश्वरी द्वारा दी गई।

जूना खाकर देव महाराज मंदिर की भूमि पर कब्जे का आरोप, पुजारी ने कलेक्टर जनसुनवाई में की शिकायत

नीमच। जिले के कुकड़ेश्वर थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित जूना खाकर देव महाराज मंदिर की भूमि को लेकर विवाद सामने आया है। मंदिर के पुजारी द्वारा मंगलवार को कलेक्टर की जनसुनवाई में शिकायत आवेदन प्रस्तुत कर प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की गई ।शिकायतकर्ता पुजारी मोतीलाल पिता देवी लाल ने आवेदन में बताया कि संबंधित भूमि वर्ष 1973 से लेकर वर्तमान तक मंदिर के अधीन रही है।

पुजारी मोतीलाल के अनुसार राजस्व अभिलेखों में भी उक्त भूमि मंदिर के नाम दर्ज किए जाने योग्य है, किंतु अब तक इसे विधिवत मंदिर के नाम पर दर्ज नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा यह भूमि लगभग दो वर्ष पूर्व नगर पंचायत कुकड़ेश्वर को अस्थायी रूप से दो वर्षों के लिए दी गई थी,लेकिन निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी अब तक भूमि मंदिर को वापस नहीं सौंपी गई है शिकायत आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि मंदिर की इस भूमि पर निजी स्वार्थ के चलते अवैध गतिविधियां की जा रही हैं। आरोप है कि भूमि पर भूखंड काटकर प्लॉट काटे जा रहे है और रसूखदार लोगों को बेचा जा रहा है, जिससे मंदिर के अस्तित्व और श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंच रही है। पुजारी ने आशंका जताई कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो मंदिर की पवित्र भूमि पर स्थायी कब्जा हो सकता है।पुजारी मोतीलाल ने प्रशासन से मांग की है कि मंदिर की संपूर्ण भूमि का सीमांकन कराकर उसे पूर्ण रूप से मंदिर के अधीन किया जाए। इससे मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, हवन एवं अन्य पूजा-पाठ सुचारू रूप से संपन्न हो सकें। साथ ही उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की भी मांग की है।

एडीएम ने किया कलेक्टोरेट में विभिन्न विभागों का आकस्मिक निरीक्षण

▸ 52 अधिकारी, कर्मचारी अनुपस्थित मिले, कलेक्टर ने दिए एक दिन का वेतन काटने के निर्देश

नीमच। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार एवं अतिरिक्त कलेक्टर बी.एस.कलेश ने मंगलवार को कलेक्टोरेट स्थित विभिन्न विभागों के कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण कर, अधिकारी, कर्मचारियों की उपस्थिति का जायजा लिया। ए.डी.एम. ने कलेक्टर कार्यालय कक्ष क्रमांक 26, उप संचालक कृषि, उद्यानिकी, आदिम जाति कल्याण, महिला एवं बाल विकास, श्रम, जिला पेंशन कार्यालय, भू-अभिलेख, अंत्यावसायी, मत्स्य, नगर एंव ग्राम निवेश कार्यालय, जिला रोजगार कार्यालय, जिला आबकारी कार्यालय एवं खाद्य विभाग के कार्यालयों का निरीक्षण कर, उपस्थिति पंजी का अवलोकन किया और अनुपस्थित पाए गए कुल 52 अधिकारी कर्मचारियों के नाम के आगे पंजी में अनुपस्थिति दर्ज की।

एडीएम कलेश द्वारा किए गए इस आकिस्मक निरीक्षण के दौरान जिला रोजगार कार्यालय नीमच एवं जिला आबकारी कार्यालय नीमच में कोई भी अधिकारी, कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित नहीं पाया गया और कार्यालय पर ताला लगा मिला।

इस पर अपर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की। इस निरीक्षण के दौरान कृषि एवं उद्यानिकी, श्रम, जिला योजना, सहकारिता, कार्यालय में सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित पाए गये। मत्स्य विभाग में 3, कलेक्टर कार्यालय कक्ष क्रमांक 26 में 20, आदिम जाति कल्याण कार्यालय में 1, महिला एवं बाल विकास कार्यालय में 4, अंत्यावसायी में 2, जिला पेंशन कार्यालय में 2, भूअभिलेख में 5, राज्य निर्वाचन कार्यालय में 3, परियोजना अधिकारी बाल विकास नीमच ग्रामीण में 8, नगर एवं ग्राम निवेश कार्यालय में 2 एवं खाद्य विभाग में 2 अधिकारी, कर्मचारी अनुपस्थित पाए गये। ए.डी.एम.श्री कलेश ने इस निरीक्षण में अनुपस्थित सभी संबंधित अधिकारी, कर्मचारियों को कारण बताओं नोटिस जारी किए हैं।

उल्लेखनीय है, कि कलेक्टर हिमांशु चंद्रा द्वारा सभी जिला अधिकारियों को पत्र जारी कर, सभी अधिकारी कर्मचारियों को निर्धारित कार्यालयीन समय प्रात:10 बजे अपने कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के निर्देश जारी किए गए है।

युवकों पर लाठियों से हमला, दो गिरफ्तार, लूट के इरादे से वारदात

नीमच। नीमच जिले के मनासा-कंजार्डा सड़क मार्ग पर सोमवार देर रात एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी पर लूट के इरादे से हमला किया गया। यह वारदात कंजार्डा के जंगल क्षेत्र में हुई। कड़ी खुर्द निवासी किशोर गुर्जर (पिता मनोहर लाल) अपने काम से लौट रहे थे। रात करीब 9 से 10 बजे के बीच सुनसान जंगल में घात लगाए बैठे अज्ञात बदमाशों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। जब किशोर ने अपनी बाइक नहीं रोकी, तो हमलावरों ने उन पर लाठियों से हमला कर दिया।

घायल होने के बावजूद, किशोर ने अपनी बाइक की रफ्तार बढ़ाई और सीधे कंजार्डा गांव की ओर भागे। बदमाश भी लूट के इरादे से उनका पीछा करते हुए गांव तक पहुंच गए। गांव में घुसते ही किशोर ने शोर मचाया, जिससे बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों की भीड़ देखकर बदमाश भागने लगे। युवाओं ने घेराबंदी कर चार में से दो बदमाशों को मौके पर ही पकड़ लिया। अन्य दो बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल में फरार हो गए। पकड़े गए बदमाशों को ग्रामीणों ने देर रात कंजार्डा चौकी पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से फरार साथियों के बारे में पूछताछ कर रही है।

युवक ने बाड़े में लगाई फांसी, पिता ने कहा- कॉल डिटेल से सामने आएगा मौत का सच

नीमच। नीमच के सिटी थाना क्षेत्र के ग्राम सेमली चंद्रावत में एक युवक का शव फंदे पर मिला। मृतक विवेक पिता शंभूलाल रावत (20) अपने घर के पास एक बाड़े में बने कमरे में फंदे से लटका मिला। परिजनों ने उसे तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना सोमवार देर रात की है।

पीएम के बाद परिजनों को सौंपा गया शव

मंगलवार सुबह सिटी पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मृतक के पिता शंभूलाल रावत ने बेटे की मौत को संदिग्ध बताया है। उन्होंने पुलिस से गहन जांच की गुहार लगाते हुए कहा कि विवेक किसी दबाव में था और उसकी कॉल डिटेल से ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा।

पिता बोले-कॉल डिटेल्स से होगा मामले का खुलासा

मृत युवक के पिता का कहना है कि युवक के कॉल डिटेल से मामले का खुलासा होने की संभावना है। दरअसल, नेवड़ की एक युवती युवक पर शादी के लिए लगातार दबाव बना रही थी। यह भी चर्चा है कि जिस समय विवेक ने फांसी लगाई, उस वक्त वह फोन पर बात कर रहा था। पुलिस अब मोबाइल रिकॉर्ड और परिजनों के बयानों के आधार पर मामले की जांच कर रही है ताकि आत्महत्या के पीछे के कारणों का पता चल सके।

एक नजर ▸ स्वामी विवेकानंद जयंती पर जिला स्तरीय युवा उत्सव आयोजित

ग्रामोदय से अभ्युदय मध्यप्रदेश अभियान सेवा पखवाड़े का शुभारंभ

नीमच। प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं अध्यक्ष म.प्र. जन अभियान परिषद, डॉ मोहन यादव के निर्देशानुसार सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने एवं प्रदेश सरकार की लोकहितकारी योजनाओं में पात्र हितग्राहियों की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण हेतु सकारात्मक वातावरण के सृजन के उदेश्य से म.प्र. जन अभियान परिषद द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंति 12 जनवरी से 26 जनवरी 2026 तक ग्रामोदय से अभ्युदय मध्यप्रदेश अंतर्गत ग्रामोत्सव एवं स्वामी विवेकानंद जयंती युवा दिवस का आयोजन जिला पंचायत सभाकक्ष में किया गया।

मुख्य अतिथी विधायक नीमच दिलीप सिंह परिहार , विशेष अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जनसिंह चौहान, युवा प्रतिनिधी लोकेश चांगल ने स्वामी विवेकानंदजी के चित्र पर माल्यापर्ण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिला समन्वयक वीरेन्द्र सिंह ठाकुर ने स्वागत उदबोधन दिया एवं अभियान के बारे में सभी को अवगत कराया विकासखंड समनवयक श्रीमती अर्चना भट्ट एवं महेन्द्रपाल सिह भाटी ने अतिथियों का स्वागत किया।

विधायक दिलीप सिंह परिहार ने उदबोधन देते हुए कहा कि युवा दिवस के अवसर पर समाज के विकास में लगे सभी युवाओं को हार्दिक बधाईयॉं, जन अभियान परिषद को भी बधाईयॉं कि परिषद द्वारा नवांकुर एवं प्रस्फुटन समितियों के माध्यम से सरकार के विभिन्न विभागों की दो वर्ष की उपलब्धियों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों तक पहुंचायी जा रही है और योजनाओं, कार्यक्रमों का लाभ अंतिम पात्र हितग्राही तक पहुँचे इसके लिए यह जन अभियान परिषद एवं सभी युवा स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रेरणा लेकर समाज के विकास में निरंतर कार्य करते रहे, संघर्षो से लड़कर ही जीत हासिल की जा सकती है।

जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जनसिंह चौहान ने मार्गदर्शन देते हुए कहा कि युवा समाज की शक्ति है, इनमें ऊर्जा, नवाचार और परिवर्तन लाने की क्षमता होती है; ये राष्ट्र के भविष्य के निर्माता होते हैं, जो नई सोच और समाधानों के साथ सामाजिक बुराइयों को दूर करने और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सक्षम होते हैं, युवा शासन के साथ मिलकर समाज को नई दिशा देने का कार्य करेंगे तो समाज का विकास जरूर होगा। जिला, संभाग, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि प्राप्त करने एवं समाज कल्याण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं को अतिथियों द्वारा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित कर सभी को स्वदेशी संकल्प दिलाया गया साथ ही जिला परियोजना प्रबंधक श्री शंभु मईडा ने ग्रामीण आजिविका मिशन, प्रबंधक उद्योग विभाग अनुराग मिश्रा ने स्वरोजगार योजनाओं एवं विभिन्न विभागों की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी कार्यक्रम में प्रदान की ।संचालन लेखापाल पवन कुमरावत ने एवं आभार ताराचंद पाईवाल ने किया।